



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—१, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, २० मार्च, २००६

फाल्गुन २९, १९२७ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—१

संख्या २६८/सात-वि-१-०१(क)११-२००६
लखनऊ, २० मार्च, २००६

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, २००६ पर दिनांक २० मार्च, २००६ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १० सन् २००६ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन)
अधिनियम, २००६

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १० सन् २००६)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७१ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, २००६ कहा जायगा। प्रारम्भ

(२) यह पहली जनवरी, २००३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 15 सन् 1971
की धारा 2 का
संशोधन

धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के खण्ड (क) में शब्द "दैनिक भत्ता" के स्थान पर शब्द "मानदेय, दैनिक भत्ता" रख दिया जायगा।

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, —

(क) खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा :—

(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद अर्थात् —

- 1—उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
- 2—उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
- 3—उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
- 4—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
- 5—उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
- 6—उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
- 7—उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- 8—उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
- 9—उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड
- 10—उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड
- 11—उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड
- 12—उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन
- 13—हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- 14—प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
- 15—इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड
- 16—उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन
- 17—पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड
- 18—बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड
- 19—उत्तर प्रदेश विकास परिषद्
- 20—उत्तर प्रदेश जल निगम
- 21—उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्
- 22—उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग
- 23—उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद्
- 24—उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
- 25—उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड
- 26—उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम

- 27-उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड
- 28-उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम
- 29-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 30-भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम
- 31-उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
- 32-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
- 33-बीज विकास निगम
- 34-वक्फ विकास निगम
- 35-उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
- 36-उत्तर प्रदेश डेस्को
- 37-प्रोजेक्ट कारपोरेशन
- 38-उत्तर प्रदेश वन निगम
- 39-पौल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशल्टीज लिमिटेड
- 40-गन्ना शोध परिषद्, उत्तर प्रदेश
- 41-गन्ना किसान संस्थान
- 42-गन्ना बीज विकास निगम
- 43-प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन
- 44-अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- 45-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- 46-समाज कल्याण निगम
- 47-सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
- 48-उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
- 49-उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद्
- 50-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
- 51-उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ
- 52-उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्
- 53-उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान
- 54-बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति उत्तर प्रदेश
- 55-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्
- 56-वित्तीय संसाधन परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश
- 57-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग
- 58-उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्
- 59-प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन, उत्तर प्रदेश

- 60-उत्तर प्रदेश राज्य व्यापार कर सलाहकार समिति
 61-भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ
 62-उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग
 63-उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग
 64-उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर फूड प्रोसेसिंग फेडरेशन
 65-उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण सहकारी संघ
 66-उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग
 67-उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
 68-भू-उपयोग परिषद
 69-उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ
 70-श्रम कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश
 71-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश
 72-न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश
 73-राज्य ललित कला अकादमी
 74-आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान
 75-आर्थिक परामर्शदाता उत्तर प्रदेश शासन
 76-उत्तर प्रदेश पैक्स फेडरेशन
 77-यू० पी० कोआपरेटिव बैंक
 78-उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक
 79-जिला सहकारी बैंक
 (ख) खण्ड (म) निकाल दिया जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को जो लाभ के पद हैं, द्वारा यह घोषित किया गया है कि कोई पद जहाँ वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभ का पद हो उसके धारक को राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायेगा।

2-उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त कतिपय अन्य पदों को भी वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा के खण्ड (क) में परिभाषित 'प्रतिकर भत्ता' की परिभाषा में 'मानदेय' को भी सम्मिलित करना आवश्यक हो गया है।

3-उक्त आशय का संशोधन किये जाने हेतु तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
 राम हरि विजय त्रिपाठी
 प्रमुख सचिव।

No.268/VII-V-1-1(Ka)11-2006

Dated, Lucknow March 20, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Anarhata Nivaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 20, 2006.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF
DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2006
(U.P. ACT No 10 OF 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furth^r to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of
Disqualification) Act, 1971.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as
follows :-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2006.</p> <p>(2) It shall be deemed to have come into force on January 01, 2003.</p> | <p>Short title and commencement</p> |
| <p>2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (a) for the words "daily allowance" the words "honorarium, daily allowance" shall be substituted.</p> | <p>Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1971</p> |
| <p>3. In section 3 of the principal Act,-</p> <p>(a) for clauses (x) the following clause shall be substituted, namely:-</p> <p style="padding-left: 40px;">“(x) the office of the Chairman, or Vice-Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following bodies namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Uttar Pradesh State Financial Corporation. (2) Uttar Pradesh State Road Transport Corporation. (3) Uttar Pradesh State Warehousing Corporation. (4) Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad. (5) Uttar Pradesh State Small Industries Corporation Ltd. (6) Uttar Pradesh State Agro-Industrial Corporation Ltd. (7) Uttar Pradesh Cement Corporation Ltd. (8) Uttar Pradesh State Industrial Corporation Ltd. (9) Uttar Pradesh State Sugar Corporation Ltd. (10) Uttar Pradesh State Textile Corporation Ltd. (11) Uttar Pradesh State Bridges Corporation Ltd. (12) Uttar Pradesh Export Corporation Ltd. (13) Hill Development Corporation Ltd. | <p>Amendment of section 3</p> |

- (14) Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Ltd.
- (15) Indian Turpentine and Rosin Company Ltd.
- (16) Uttar Pradesh State Handloom Corporation.
- (17) Poorvanchal Vikas Nigam Ltd.
- (18) Bundelkhand Vikas Nigam Ltd.
- (19) Uttar Pradesh Vikas Parishad.
- (20) Uttar Pradesh Jal Nigam.
- (21) Uttar Pradesh Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad.
- (22) Uttar Pradesh Sinchai Evam Badh Niyamtran Ayog.
- (23) Uttar Pradesh Film Vikas Parishad.
- (24) Uttar Pradesh Rajya Khadya Evam Avashyak Vastu Nigam.
- (25) Uttar Pradesh Khadi Board.
- (26) Uttar Pradesh Paryatan Vikas Nigam.
- (27) Uttar Pradesh Rajya Sahkari Ganna Samiti Sangh Ltd.
- (28) Uttar Pradesh Mahila Kalyan Nigam.
- (29) Pradushan Niyamtran Board.
- (30) Bhootpurva Sainik Kalyan Nigam.
- (31) Uttar Pradesh Matsya Vikas Nigam Ltd.
- (32) Uttar Pradesh Rajya Karmachari Kalyan Nigam.
- (33) Beej Vikas Nigam.
- (34) Waqf Vikas Nigam.
- (35) Uttar Pradesh Hindi Sansthan.
- (36) Uttar Pradesh Desco.
- (37) Project Corporation.
- (38) Uttar Pradesh Van Nigam.
- (39) Poultry Evam Livestock Specialities Limited.
- (40) Ganna Shodh Parishad Uttar Pradesh.
- (41) Ganna Kisan Sansthan.
- (42) Ganna Beej Vikas Nigam.
- (43) Pradeshiik Cooperative Union.
- (44) Alpasankhyak Vitta Evam Vikas Nigam.
- (45) Uttar Pradesh Pichhada Varg Vitta Evam Vikas Nigam.
- (46) Samaj Kalyan Nigam.
- (47) Sudoor Samvedan Upayog Kendra.
- (48) Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan.
- (49) Uttar Pradesh Yuva Kalyan Parishad.
- (50) Uttar Pradesh Anusuchit Jati Vitta Evam Vikas Nigam.
- (51) Uttar Pradesh Sahkari Avas Sangh.

- (52) Uttar Pradesh Pravidhik Siksha Parishad.
- (53) Uttar Pradesh Vaikalpik Oorja Vikas Sansthan.
- (54) Bis Sutriya Karyakram Karyanvayan Samiti Uttar Pradesh.
- (55) Uttar Pradesh Gramin Avas Parishad.
- (56) Vittiya Sansadhan Paramarshdata, Uttar Pradesh.
- (57) Uttar Pradesh Anusuchit Jati Evam Janjati Ayog.
- (58) Uttar Pradesh Nagarik Parishad.
- (59) Pradeshik Cooperative Sericulture Federation, Uttar Pradesh.
- (60) Uttar Pradesh Rajya Vyapar Kar Salahkar Samiti.
- (61) Bhartendu Natya Akadami, Lucknow.
- (62) Uttar Pradesh Alpasankhyak Ayog.
- (63) Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog.
- (64) Uttar Pradesh State Horticulture Food Processing Federation.
- (65) Uttar Pradesh Shram Nirman Sahakari Sangh.
- (66) Uttar Pradesh Goseva Ayog.
- (67) Uttar Pradesh Rajya Pichada Varg Ayog.
- (68) Bhu-Upyog Parishad.
- (69) Uttar Pradesh Upbhokta Sahkari Sangh.
- (70) Shram Kalyan Parishad, Uttar Pradesh.
- (71) Vigyan Evam Prodyogiki Parishad, Uttar Pradesh.
- (72) Nyuntam Vetan Salahkaar Board, Uttar Pradesh.
- (73) Rajya Lalit Kala Acadami.
- (74) Acharya Narendra Dev Antarrashtriya Bouddh Vidya Shodh Sanshthan.
- (75) Arthik Paramarshdata Uttar Pradesh Shaasan.
- (76) Uttar Pradesh Packs Federation.
- (77) U.P. Cooperative Bank.
- (78) Uttar Pradesh Bhoomi Vikas Bank.
- (79) Zila Sahkari Bank."

(b) clause (y) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

IN section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 has been declared in relation to such offices as are office of profit under the State Government that none of the office in so far as it is an office of profit under the Government of India or the State Government shall disqualify or be deemed to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being a member of the State Legislature.

2. In view of the present situation it has become necessary to include certain other offices besides the offices mentioned in section 3 of the aforesaid Act and to include Honorarium in the ambit of "Compensatory Allowance" defined in clause (a) of section 2 of the said Act has also become necessary.

3. The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly for making amendment as intended above.

By order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.